बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
संकल्प

विषयः **नगरपालिका निर्वाचन के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।**

लोक सभा/विधान सभा आम/उप निर्वाचन के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की कर्त्तव्य के दौरान हिसंक घटनाओं या दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों के लिए अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने के बिन्दु पर समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा संकल्प निर्गत किये जाते रहे हैं। उल्लेखनीय परिपत्र/संकल्प निम्नवत हैं :-

i. वित्त विभागीय संकल्प सं0 2411 दिनांक 12.11.2005
ii. वित्त विभागीय संकल्प सं0 2796 दिनांक 01.04.2009
iii. वित्त विभागीय संकल्प सं0 451 दिनांक 09.04.2014
iv. वित्त विभागीय संकल्प सं0 608 दिनांक 07.05.2014

सहज संदर्भ हेतु उक्त संकल्पों की प्रति संलग्न है।

2. वित्त विभाग की अधिसूचना सं0 12 दिनांक 05.01.2016 सह शुद्धि पत्र ज्ञापांक 10 दिनांक 06.01.2017 द्वारा यह सामान्य परिपत्र निर्गत है कि **"लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारण से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में पूर्व में निर्गत संकल्प सं0-451 दिनांक-09.04.2014 के प्रावधान बिहार नगरपालिका आम/उप निर्वाचन कार्य के लिए यथारूप लागू होंगे।"**

3. वित्त विभागीय संकल्प सं0 2001 दिनांक 19.08.2011 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे गये सरकारी सेवकों के मामलों में अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने का मामला संबंधित प्रशासी विभाग के स्तर से निष्पादित किया जायेगा।

उक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि **नगरपालिका आम निर्वाचन/उप निर्वाचन के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त सरकारी/गैर सरकारी कर्मियों/सुरक्षा कर्मी की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में मृत कर्मी के आश्रित अथवा अपंग कर्मी को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह- जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दी जाएगी।**

4. कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में निर्वाचन कर्त्तव्य पर माना जाएगा-

" A person is to be treated on election duty as soon as he leaves his residence/office to report for any election related duty including training and until he reaches back his residence/office after performance of his election related duty. If any mishap takes place during this period, it should be treated as having occurred on election duty subject to condition that there should be

a causal connection between occurrence of death/injury and the election duty."

अनुग्रह अनुदान की देयता इसी आधार पर विचार की जाएगी।

5. कंडिका 1 में वर्णित वित्त विभागीय संकल्पों के आधार पर वर्तमान में नगरपालिका आम/उप निर्वाचन के दौरान प्रतिनियुक्त कर्मियों की मृत्यु या अपंगता के मामले में उनके आश्रितों/उनको, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निम्न रूप से अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दी जायेगी :–

(i) नगरपालिका निर्वाचन/उप निर्वाचन के दौरान हिसंक घटना, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर ₹10,00,000.00 (दस लाख रूपया) मात्र की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में मृतक के आश्रित को दी जाएगी।

(ii) नगरपालिका निर्वाचन कर्त्तव्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की यदि उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिसांत्मक कार्रवाईयों (यथा रोड माईन्स, बम विस्फोट, सशस्त्र आक्रमण इत्यादि) में मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में मुआवजा की राशि ₹20,00,000.00 (बीस लाख रूपया) मात्र होगी।

(iii) चुनाव कार्य के दौरान हिंसात्मक घटना/दुर्घटना के फलस्वरूप **स्थायी/पूर्ण विकलांगता** की स्थिति में पांच लाख रूपये अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा, किन्तु उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में स्थायी प्रकार की विकलांगता होने पर अनुग्रह अनुदान की राशि दोगुनी होगी। **स्थायी आंशिक विकलांगता** की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की 50 प्रतिशत राशि ही देय होगी। आंशिक विकलांगता/एक अंग/एक से अधिक अंगों की विकलांगता की स्थिति तभी प्रभावी होगी जब विकलांगता का प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत हो। विकलांगता के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।

6. नगरपालिका निर्वाचन/उप निर्वाचन के अवसर पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यों में लगाये गये सभी व्यक्ति (जैसे कि पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, दंडाधिकारी, चौकीदार, ग्राम रक्षा दल के सदस्य, चुनाव के लिए अधिगृहित वाहनों के चालक, मोटर वाहन अधिनियम अन्तर्गत अधिकृत व्यक्ति, पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी कर्मी, गृह रक्षक, केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य इत्यादि) उपर्युक्त प्रावधानों से आच्छादित होंगे। किन्तु उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाईयों में मृत्यु के फलस्वरूप नगरपालिका निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त किसी चुनाव कर्मी या सुरक्षा कर्मी के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य योजना के अन्तर्गत देय अनुग्रह अनुदान/बीमा राशि भुगतेय होने की स्थिति में राज्य सरकार निर्धारित बीस लाख रूपया तक की सीमा तक ही अन्तर राशि का भुगतान करेगी।

नगरपालिका निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त CAPFs / SAPs एवं अन्य सुरक्षा बलों को देय मुआवजा राशि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के तहत घोषित मुआवजे की राशि के अतिरिक्त होगी।

7. कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो प्रासंगिक वित्त विभागीय परिपत्रों से आच्छादित नहीं हों और घटना की विशेष परिस्थिति के कारण अनुग्रह अनुदान या अन्य सुविधा दिया जाना आवश्यक हो, तो ऐसे मामलों में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित **अनुग्रह अनुदान समिति** की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

8. नगरपालिका आम चुनाव/उप चुनाव में निर्वाचन कर्त्तव्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिसांत्मक घटना या दुर्घटना या अन्य कारण से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान से संबंधित अनुशंसा साक्ष्य सहित संलग्न विहित प्रपत्र में यथाशीघ्र नगर विकास एव आवास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

9. इस मद में होनेवाला व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के "मुख्य शीर्ष 2015–निर्वाचन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109– पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार– उप शीर्ष–0001–नगर निगमों/नगर परिषदो/नगर पंचायतों का चुनाव" अन्तर्गत विषय शीर्ष 0001.13.01–कार्यालय व्यय इकाई से विकलनीय होगा। इसका माँग संख्या 48 एवं विपत्र कोड 48–2015001090001 होगा।

अनुलग्नक–यथा उपर्युक्त।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

10/1/2019

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5 न0वि0/विविध–91/2018 129 /न0वि0एवंआ0वि /पटना, दिनांक– 11/01/19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग गजट शाखा को सी0डी0 के साथ बिहार गजट के असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10/1/2019

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5 न0वि0/विविध–91/2018 129 /न0वि0एवंआ0वि /पटना, दिनांक– 11/01/19

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, महालेखाकार का कार्यालय, वीर चन्द पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/1/2019

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5 न0वि0/विविध–91/2018 129 /न0वि0एवंआ0वि /पटना, दिनांक– 11/01/19

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/राज्य के सभी नगर निकाय/सभी कोषागार पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/1/2019

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

नगरपालिका चुनाव के अवसर पर निर्वाचन कर्त्तव्य पर मृत अथवा अपंग मतदान कर्मी/पुलिस कर्मी के संबंध में सूचना का प्रपत्र।

1	सरकारी कर्मी/पुलिस कर्मी का नाम, पदनाम, कार्यालय एवं स्थायी पता।		
2	संबंधित कर्मी के नियंत्री पदाधिकारी का पदनाम और पूरा पता।		
3	नगरपालिका चुनाव/उप चुनाव का नाम एवं वर्ष		
4	घटना/दुर्घटना में मृत्यु अथवा अपंगता का स्पष्ट उल्लेख।		
5	घटना /दुर्घटना की तिथि।		
6	मृत्यु अथवा घटना/दुर्घटना की परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण। **(आवश्यकतानुसार अलग पृष्ठ संलग्न करें)**		
7	मृतक की स्थिति में निकटतम आश्रित का नाम जिन्हें अनुग्रह अनुदान राशि भुगतेय होगी।		
8	विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत।		
9	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह –जिला पदाधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा		

जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन
पदाधिकारी (नगरपालिका)
का हस्ताक्षर

नोटः– प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात की मूल/अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाये।

1 मृत/अपंग कर्मी के निर्वाचन कर्त्तव्य का नियुक्ति पत्र।
2 मृतक की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र/पोस्टमाटम रिपोर्ट।
3 प्राथमिकी प्रतिवेदन/यू०डी० केस रिपोर्ट।
(हिंसात्मक घटना में मृत्यु होने पर प्राथमिकी अनिवार्य)
4. मृतक के निकटतम आश्रित का नाम एवं पता का प्रमाण पत्र।
5 जिला निर्वाचन पदाधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा।

निदेशन सं० बी० टी०—50

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक 1927 (श०)

(सं० पटना 608)

पटना, सोमवार 14 नवम्बर 2005

सं० वि० 27 पे० ओ०-78/2005-2411

वित्त विभाग

संकल्प

12 नवम्बर 2005

विषय—कर्त्तव्य के दौरान हिंसक घटनाओं में मारे गए सरकारी सेवकों के आश्रितों को दिये जाने वाले अनुग्रह अनुदान एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में।

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 0 में कर्त्तव्य के दौरान शारीरिक आघात/दुर्घटना एवं शारीरिक नुकसान एवं मृत्यु होने पर क्षति आघात एवं पेंशन परिदान स्वीकृत करने का प्रावधान है। कालान्तर में पुलिस बल के कर्मियों को कर्त्तव्य के दौरान नक्सलवादी/उग्रवादी हिंसा [illegible] मृत्यु अथवा शारीरिक आघात होने पर उनको एवं उनके आश्रितों को विशेष [illegible] स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया तथा वित्त विभागीय पत्रांक पी०सी०-3-01-05/84-2884, दिनांक 12 अक्टूबर 1984 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सिपाही/हवलदार/सहायक अवर निरीक्षक/अवर निरीक्षक एवं आरक्षी निरीक्षक तथा [illegible] की मृत्यु होने पर उनकी विधवा को अंतिम वेतन तथा उस पर अनुमान्य महंगाई भत्ता पारिवारिक पेंशन के रूप में सामान्य सेवा निवृत्ति की तिथि या विधवा की मृत्यु/पुनर्विवाह की तिथि या संबंधित कर्मी की मृत्यु की तिथि से 7 वर्ष जो भी पहले हो, तक अनुमान्य होगा।

2. वित्त विभाग के संकल्प सं०-2883, दिनांक 12 अक्टूबर 1984 द्वारा कर्त्तव्य पर मारे गए पुलिस बल के कर्मचारियों को विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 30,000 रु० विशेष सहायता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था, जिसे संकल्प सं०-1135, दिनांक 2 सितम्बर, 1986 द्वारा एक लाख रुपये तथा संकल्प सं०-5503, दिनांक 5 मई 1997 द्वारा 2.50 लाख रु० किया गया। इसे पुनः वित्त विभागीय संकल्प सं०-7976, दिनांक 23 नवम्बर, 2001 द्वारा सभी स्तर के सरकारी कर्मियों के लिये 10.00 लाख (दस लाख) रुपये किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि कर्तव्य के दौरान हिंसक प्रतिविधियों में मारे गये विभिन्न सरकारी सेवकों के मामले में अनुग्रह अनुदान समिति द्वारा अलग-अलग निर्णय लिये जाते थे, कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं तथा अन्य मामलों का उदाहरण देकर समान सुविधाओं का दावा किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी मामलों में समान निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस की गयी है।

4. अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी स्तर के सेवकों को कर्तव्य के दौरान मारे जाने पर उनके आश्रितों को निम्न सुविधाएं देने का प्रस्ताव है—

(1) कर्तव्य के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक प्रतिविधियों में मारे जाने पर उनके आश्रितों को 10.00 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।

(2) (क) जिन सरकारी सेवकों को वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन देय/अनुमान्य है, उनके एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ;

(i) सभी स्तर के सरकारी सेवकों को उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक प्रतिविधियों में मारे जाने पर उनकी विधवा को सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि को प्राप्त हो रहे अंतिम मूल वेतन विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में संबंधित सरकारी सेवक की सेवा-निवृत्ति की तिथि तक

(ii) यदि सरकारी सेवक की पत्नी जीवित नहीं है और बच्चे हैं तो सभी बच्चों को मिलाकर मृतक को वास्तविक रूप में मृत्यु की तिथि प्राप्त हो रहे अंतिम मूल वेतन विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमान्य होगी, जिसकी न्यूनतम सीमा 2500 रु० (दो हजार पांच सौ रुपये) होगी। यह विशेष पेंशन बच्चों की उम्र 25 वर्ष या उनकी किसी सरकारी सेवा में नियुक्ति जो भी पहले हो तक;

(iii) यदि मृतक अविवाहित या निःसंतान हो, तो माता-पिता या उनमें कोई एक जीवित हों तो उन्हें कंडिका 2 (क) (i) की सुविधा;

(ख) जिन सरकारी सेवकों की सेवा पेंशन प्रदायी नहीं है, उनके मारे जाने पर 10.00 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की राशि एवं उनके एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की सुविधा देय होगी। ऐसे कर्मियों के आश्रितों को उपर्युक्त (क) की विशेष पेंशन देय नहीं होगी;

(ग) कंडिका 4 की 2(क) में उल्लिखित आश्रितों के मृतक की कल्पित आयु 60 वर्ष होने के पश्चात मृतक सरकारी सेवक के परिवार को देय पारिवारिक पेंशन;

(घ) दिनांक 1 सितम्बर, 2005 या उसके बाद से नियुक्त नये सरकारी सेवकों पर वर्तमान पेंशन योजना उपलब्ध नहीं होने के कारण वैसे सरकारी सेवकों को इस योजना का लाभ देय नहीं होगा। वैसे सरकारी सेवकों के लिये यथाशीघ्र अलग से निर्णय लिया जायेगा।

5. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले आदेशों के आलोक में की जायगी।

6. कर्तव्य के दौरान घायल होने की चिकित्सा हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति बिहार सरकार नियमावली के प्रावधानों के आलोक में की जायेगी।

7. यह संकल्प आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा परन्तु दिनांक 15 जून 2005 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में हुई अनुग्रह अनुदान समिति की बैठक में जिन मृतक सरकारी सेवकों के संदर्भ में यह सुविधा देने का निर्णय हुआ है, यह व्यवस्था मात्र उन पर लागू मानी जायगी।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार-राजपत्र के आगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० एम० शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय [illegible] द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण): 538—[illegible]—571-300—[illegible]

पत्रांक-वि0(27)पे0को0-78/05 - 2796 वि0(2), दिनांक - 01.04.2009

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

विषय- लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिंसात्माक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारण से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में ।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक- 218/6/2009/EPS/दिनांक-17 फरवरी 2009 द्वारा दिऐ गए निर्देश एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-7445/2001 में दिनांक-01-07-2002 को पारित आदेश तथा एल0पी0ए0 सं0- 241/2002 एवं 855/2002 में दिनांक-16-04-2003 को पारित आदेश के आलोक में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए इस विषय पर लिये गये निर्णय के आलोक में लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के लिए सम्यक् विचारोपरात राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गए है :-

निर्वाचन कार्य मे प्रतिनियुक्त किसी चुनाव कर्मी या सुरक्षाकर्मी की कर्तव्य के दौरान हिंसात्मक घटना, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हुई मृत्यु की स्थिति में 10,00,000 (दस लाख) रूपये अनुग्रह अनुदान मृतक के आश्रित को दिया जायेगा । केन्द्रीय पुलिस कर्मियों की मृत्यु की स्थिति मे उन्हे मात्र 2.50 लाख रूपये का ही अनुग्रह अनुदान देय होगा, क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय पुलिस कर्मियों को ऐसी घटनाओं के लिए 7.50 लाख रूपये का अनुदान अलग से दिया जाता है । यदि केन्द्रीय सरकार 2.50 लाख से अधिक अनुग्रह अनुदान देती है तो राज्य सरकार 10,00,000 (दस लाख) रूपये तक की सीमा तक की अन्तर राशि का भुगतान करेगी ।

उपर्युक्त अनुग्रह अनुदान चुनाव कार्य के दौरान हिंसात्मक घटना/दुर्घटना के फलस्वरूप पूर्ण विकलांगता की स्थिति में भी देय होगा, परन्तु यह कि चुनाव कार्य के दौरान हिंसात्मक घटना/ दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में उपर्युक्त कंडिका में अंकित अनुग्रह अनुदान की 50 प्रतिशत राशि ही देय होगी । आंशिक विकलांगता/ एक अंग/ एक अंग से अधिक अंगों की विकलांगता की स्थिति तभी प्रभावी होगी जब कुल विकलांगता का प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत हो । विकलांगता के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा ।

सक्षम पदाधिकारी द्वारा लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचन से संबंधित कार्य पर लगाये गये सभी व्यक्ति उपर्युक्त प्रावधानों से आच्छादित होंगे, जैसे कि कोई पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, दंडाधिकारी, चौकीदार, ग्राम रक्षा दल के संदस्य, चालक (चुनाव

के लिए अधिगृहित वाहनों के निजी चालक/मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति), पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी कर्मी, गृह रक्षक, केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य इत्यादि ।

4 भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक-- 218/6/2009/EPS/दिनांक-17 फरवरी 2009 द्वारा निर्वाचन कर्तव्य को निम्नवत परिभाषित किया गया है :-

"A person is to be treated on election duty as soon as he leaves his residence/office to report for any election related duty including training and until he reaches back his residence/office after performance of his election related duty. If any mishap takes place during this period, it should be treated as having occurred on election duty subject to condition that there should be a causal connection between occurrence of death/injury and the election duty."

5 उपरोक्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार द्वारा दी जायेगी ।

6 इस मद में होने वाला व्यय "मुख्य शीर्ष 2015- निर्वाचन" के अन्तर्गत संबंधित निर्वाचन उपशीर्ष के विषय शीर्ष "कार्यालय व्यय" से विकलनीय होगा ।

7 जिन सरकारी सेवकों को इस संकल्प के आलोक में अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जायेगा उन्हें वित्त विभाग के संकल्प संख्या- वि0(27)पे0को0 -78/05- 2411, दिनांक-12-11-2005 द्वारा देय अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं होगा । इसके अलावा इस संकल्प में देय सुविधायें मृत सरकारी सेवकों को देय अन्य सेवा सुविधाओं के अतिरिक्त होंगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
~~विश्वासभाजन,~~

(अस्नीश चावला)
अपर वित्त आयुक्त(व्यय)

ज्ञाप संख्या - वि0(27))पे0को0 -78/05 - 2796 वि0(2), पटना, दिनांक - 01.04.2009

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अस्नीश चावला)
अपर वित्त आयुक्त(व्यय)

ज्ञाप संख्या - वि0(27))पे0को0 -78/05 - 2796 वि0(2), पटना, दिनांक - 01.04.2009

प्रतिलिपि-सभी प्रधान सचिव/ सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अस्नीश चावला)
अपर वित्त आयुक्त(व्यय)

पत्रांक-वि0(27)पे0को0-78/05........451........./वि0(2), दिनांक 09.04.14/

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषयः- लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारण से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में निर्गत संकल्प-2796 दिनांक 01.04.2009 में आंशिक संशोधन के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन कार्य में लगाए गए सरकारी/गैर-सरकारी कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से निर्वाचन कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में देय मुआवजा की राशि एवं उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया का निर्धारण पत्रांक-2796 वि0(2) दिनांक 01.04.2009 द्वारा किया गया था ।

2. भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक-218/6/2014/EPS दिनांक 26.03.2014 द्वारा पूर्व में अनुशंसित दरों में निम्नांकित संशोधन संसूचित किए जाने की सूचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा दी गई है :-

I. An amount of Rs. 10 Lacs as the minimum amount to be paid to the next of kin of the official in the unfortunate event of death of the official while on election duty.

II. If the death is unfortunately caused due to any violent acts of extremist or unsocial elements like, road mines, bomb blasts, armed attacks, etc. the amount of compensation would be Rs. 20 lakhs.

III. In the case of permanent disability, like loss of limb, eye sight, etc, a minimum ex-gratia payment of Rs. 5 lacs would be given to the official (which would be doubled in the case of such mishaps being caused by extremist or unsocial elements as aforesaid).

3. भारत निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के क्रम में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्वाचन कर्त्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों की उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाईयों यथा रोड माइन्स, बम बिस्फोट,

कि (i) उपर्युक्त मामलों में मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा की राशि बीस लाख रूपये होगी ।

(ii) स्थायी विकलांगता यथा अंग भंग, अंधापन आदि होने पर पाँच लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान देय होगा परन्तु उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में इस प्रकार की विकलांगता होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की दुगुनी राशि अर्थात् दस लाख रूपये देय होंगे ।

परन्तु निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त किसी चुनाव कर्मी या सुरक्षाकर्मी के लिये केन्द्र अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य योजना के अंतर्गत देय अनुग्रह अनुदान/बीमा राशि भुगतेय होनें की स्थिति में राज्य सरकार निर्धारित बीस लाख रूपये तक की सीमा तक की अंतर राशि का भुगतान करेगी ।

4. निर्वाचन कार्य में कार्यरत बाह्य व्यक्तियों के संदर्भ में संकल्प संख्या-2796 वि0(2) दिनांक 01.04.2009 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे ।

5. निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सरकारी/लोक उपक्रम कर्मियों के संदर्भ में भी उपर्युक्त कंडिका-3 में अंकित संशोधन को छोड़कर संकल्प संख्या-2796 वि0(2) दिनांक 01.04.2009 के अन्य प्रावधान प्रभावी रहेंगे ।

6. यह संकल्प लोक सभा आम निर्वाचन-2014 से प्रभावी होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से ।

9/4/14

(संजीव हंस)
सचिव (संसाधन)

ज्ञाप संख्या- वि0(27)पि0को0-78/05...451......वि0(2) पटना, दिनांक 09.04.14

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/4/14

(संजीव हंस)
सचिव (संसाधन)

ज्ञाप संख्या- वि0(27)पि0को0-78/05...451......वि0(2) पटना, दिनांक 09.04/2014

प्रतिलिपिः- सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/4/14

(संजीव हंस)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक 3133 दिनांक 09/04/2014

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार को निदेशानुसार सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/4/14

(सोहन [illegible] ठाकुर)
संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

पत्रांक-वि0(27)पि0को0-78/05-608/वि0(2), दिनांक 07.05.2014

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

<u>संकल्प</u>

विषयः- लोकसभा/विधानसभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारण से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह-अनुदान के संबंध में निर्गत संकल्प सं0- 451 दिनांक- 09.04.2014 में आंशिक संशोधन के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन कार्य में लगाये गये सरकारी/गैर-सरकारी कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से निर्वाचन कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में देय मुआवजा की राशि एवं उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया का निर्धारण पत्रांक- 2796 दिनांक- 01.04.2009 द्वारा किया गया था । उक्त संकल्प में भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक- 218/6/2014/EPS दिनांक- 25.03.2014 के आलोक में पूर्व में अनुशंसित दरों में संशोधन करते हुए संकल्प सं0- 451 दिनांक- 09.04.2014 निर्गत किया गया है ।

(2) भारत निर्वाचन आयोग ने पुनः पत्रांक- 218/6/2014/EPS दिनांक- 25.04.2014 के द्वारा अपने पूर्व के पत्रांक- 218/6/2014/EPS दिनांक- 25.03.2014 में यह संशोधन किया है कि आयोग द्वारा विहित मुआवजा की राशि निर्वाचन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त CAPFs/SAPs एवं अन्य सुरक्षा बलों को भी देय होगी और यह गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के तहत घोषित मुआवजे की राशि के अतिरिक्त होगी ।

(3) इस विभाग के संकल्प संख्या 2796 दिनांक 01.04.2009 एवं संकल्प संख्या 451 दिनांक 09.04.2014 के प्रावधान उपर्युक्त कंडिका-2 में वर्णित संशोधनों के साथ प्रभावी रहेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(संजीव हंस)

सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक-वि0(27)पि0को0-78/05-608/वि0(2), दिनांक 07.05.2014

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(संजीव हंस)

सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक-वि0(27)पि0को0-78/05-608/वि0(2), दिनांक 07.05.2014

प्रतिलिपि - सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव हंस)

सचिव (संसाधन)